# न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

**पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0**

| मुकदमा नंबर | किस्म मुकदमा | दर्ज दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | FSS ACT | 08.05.2025 | 22.08.2025 |

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

**—आवेदक**

बनाम

श्री इन्द्रजीत बंसल पुत्र श्री भगवान स्वरूप बंसल, मैसर्सः बंसल किराना स्टोर,13, पुलिया के पास, जीटी रोड़, मनियां, धौलपुर

**—अभियुक्त**

न्याय निर्णायक अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) /51एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011**

**निर्णय** **दिनांक 22.08.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 26.12.2024 को दोपहर 11:00 एएम पर मैसर्सः बंसल किराना स्टोर,13, पुलिया के पास, जीटी रोड़, मनियां, धौलपुर पर पहुंचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे,तो उसने अपना नाम इन्द्रजीत बंसल पुत्र श्री भगवान स्वरूप बंसल मैसर्सः बंसल किराना स्टोर, 13, पुलिया के पास, जीटी रोड़, मनियां, धौलपुर एवं लाईसेंस /रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहां तो उन्होने खाद्य अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 22222065001188 मौके पर दिखाया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर लगभग 40 किलोग्राम गुड़ आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस गुड़ में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त गुड़ का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहां। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता के उक्त 40 किलोग्राम गुड में से 1 किलोग्राम गुड़ वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता इन्द्रजीत बंसल पुत्र श्री भगवान स्वरूप बंसल को रू. 40/– (चालीस रूपये) नगर देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम गुड़ को विक्रेता एवं गवाहन को दिखा कर खरीदशुदा गुड को बोतल में बराबर भरा एवं 20–20 बूंद फोर्मेलिन डाल कर लेबल तैयार कर प्रत्येक



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नमूना भाग पर चिपकाये और लैबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3306 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पतानाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान फोर्मलिन आदि दर्ज कर आवेदन द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 3306 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर मैने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर इन्द्रजीत बंसल पुत्र भगवान स्वरूप बंसल के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर दो तीन व्यक्ति खड़े हुये थे जिनको गवाह बनने को कहा गया तो उनहोने गवाह बनने से मना कर दिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांघ कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म सख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/ 2025/17 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/1058/एक्ट/2024/14 दिनांक 08.01.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया गुड Substandard प्रकृति कर पाया गया मूल जांच रिपोर्ट पत्रावली संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2025/41 दिनांक 26.02.2025 की पालना में श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ गुड विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।
न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के अभिभाषक ने जबाब पेश किया ।

अपने जबाव में कहा कि प्रार्थी एक छोटी सी दुकान किराना की मनियां फूलपुर रोड़ पर है जिसका पंजीयन नं. 22222065001188 है। उसी से अपने परिवार का पालन करता है। प्रार्थी अपनी किराने की दुकान पर सामान बाहर से लाकर बेचता है। गुड़,चीनी पैंकिग होकर बाहर थोक विक्रेता से आता है। दिनांक 26.12.2024 को दोपहर 11 बजे मेरी दुकान पर खाद्य निरीक्षक आये तथा गुड़ का सैंपल लेने के लिये कहा तो मैं कट्टा की पैंकिग खोलकर गुड़ लाने को गया तो उन्होने मेरी दुकान में बेचते समय बचे हुए गुड में से देने को कहा तो मैंने उसमें से दे दिया। जिसका सैंपल बनाकर जांच के लिए भेज दिया। जबकि पैंकिग से निकाले हुए को नहीं भेजा। खुले हुए गुड में थोडा सा मॉईश्चर आ जाती है जिसके कारण अमानक आया है। जबकि पैंकिग वाले में सही होता है। प्रार्थी ने अपनी तरफ से कोई मिलावट नही की है ना ही गुड़ को स्वंय बनाया गया है। प्रार्थी ने जानबूझकर या फायदा लेने हेतु कोई मिलावट नहीं की है। जहां से गुड बनकर आया है उसी को विक्रय के लिये रखा है। प्रार्थी छोटा दुकानदार है तथा किसी तरह का कोई निर्माण या मिलावट नहीं करता है। केवल थोक विक्रेता से लाकर दुकान पर बेचता है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खिलाफ लगाये गये आरोपो को माफ किया जावे तथा न्यायहित में प्रार्थी के खिलाफ पेश किये गए प्रकरण को समाप्त किया जावे।

बहस अधिवक्ता अभियुक्त सुनी गई। बहस के दौरान वकील अभियुक्त ने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अभियुक्त छोटा दुकानदार है उसी से अपने परिवार का पालन करता है। अतः नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR,(RAJASTHAN).** की **REPORT NO.LS/1058/Act/2024/14 DATE 08-01-2025** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

**"Opinion**- The sample of **"Gur''** bring Code No- and Sr. No. **D-3306** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer,Dholpur is **Sub-Standard** as it dose not conform to the prescribed purity standards of Food Safety and Standard (Food Products Standards and Food Aditives) Act. 2006.

अभियुक्त द्वारा सब स्टैण्डर्ड ( SUB-STANDARED) प्रकृति की खाद्य वस्तु का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा की गई बहस व पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत है कि आवेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध की गई कार्यवाही उचित है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 5000/-(अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है।जुर्माने की राशि अप्रार्थी, कैशियर कलक्ट्रेट धौलपुर को जमा करावें । वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)